[2018] 14 एस. सी. आर 627

महेंद्र चावला और ओआरएस।

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2016 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 156)

05 दिसंबर, 2018

[ए. के. सिकरी और एस. अब्दुल नजीर, जे. जे.]

आपराधिक न्याय का प्रशासन:

गवाह संरक्षण-न्यायिक प्रणाली में गवाह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो न्यायाधीशों को सही तथ्यात्मक निष्कर्षों पर पहुंचने में मदद करते हैं।

- इसके बावजूद, भारतीय कानूनी प्रणाली में गवाहों की स्थिति दयनीय है उन्हें विभिन्न चरणों में धमकी दी जाती है-गवाह सुरक्षा कार्यक्रम की कमी और गवाह के साथ होने वाले व्यवहार के कारण, आगे आने और जांच के दौरान बयान देने और/या अदालतों में गवाही देने में अनिच्छा होती है। गवाहों के शत्रुतापूर्ण होने का एक मुख्य कारण यह है कि उन्हें राज्य द्वारा उचित सुरक्षा नहीं दी जाती है-संरक्षण

गवाहों की संख्या उन्हें निडरता और सच्चाई से गवाही देने में सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है-भौतिक गवाह को सुनने में विफलता निष्पक्ष मुकदमे से इनकार है-यदि कोई धमकी या अन्य दबाव के कारण अदालतों में गवाही देने में असमर्थ है, तो यह कला का स्पष्ट उल्लंघन है। 21 संविधान-गवाह

भारत संघ द्वारा तैयार की गई संरक्षण योजना, 2018 को कला के तहत कानून माना जाएगा। 141/142 भारत का संविधान-कला विषय पर उपयुक्त संसदीय और/या राज्य विधानों के अधिनियमन तक। 21 , 141 और 142।

भारत का संविधान:

कला. 32 - लिखित याचिका-आपराधिक मामले में गवाहों द्वारा-यह आरोप लगाते हुए कि उन्हें अभियुक्तों द्वारा गंभीर रूप से धमकी दी गई है

परिणाम अगर वे उसके खिलाफ गवाही देते हैं-यह भी आरोप लगाया गया था कि 10 गवाहों पर हमला किया गया था और 3 गवाहों पर हमला किया गया था।

मारा गया-आयोजित: उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों को याचिकाकर्ताओं को पूर्ण और उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 एक प्रतिकूल प्रणाली में, जो भारत में प्रचलित है, अदालत को इन आधार पर मामलों का फैसला करना चाहिए: उसके समक्ष प्रस्तुत साक्षय। यह प्रमाण दस्तावेजों के रूप में हो सकता है। यह मौखिक साक्षय भी हो सकता है, यानी गवाहों का बयान। इस प्रकार, गवाह तथ्यों के विवादित प्रश्नों पर सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अदालत को सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

और यह पता लगाने के लिए कि सच्चाई कहाँ है। इसलिए वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में रीढ़ हैं। जब भी, किसी विवाद में, दोनों पक्ष परस्पर विरोधी बयान देते हैं, तो गवाह सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण साधन बन जाते हैं, जिससे किसी मामले में न्याय मिलता है। यह सिद्धांत आपराधिक मामलों में अधिक जोश और ताकत के साथ लागू होता है क्योंकि ऐसे अधिकांश मामले हैं

गवाहों की गवाही के आधार पर निर्णय लिया जाता है, विशेष रूप से, चश्मदीद गवाह, जिन्होंने वास्तविक घटना/अपराध देखा होगा। [पैरा 1] [634-ई-एच] 1.2 इस प्रकार, गवाह न्यायिक प्रणाली में महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, जो न्यायाधीशों को सही तथ्यात्मक निष्कर्षों पर पहुंचने में मदद करते हैं। साक्षय का साधन वह माध्यम है जिसके माध्यम से विवादित या साबित करने के लिए आवश्यक तथ्यों को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जाता है।

अदालतों में। यह साक्षय दस्तावेजी और मौखिक रूप में गवाहों द्वारा दिया जाता है। गवाह पक्षपाती हो सकता है या इच्छुक गवाह, अर्थात, एक गवाह जो अपराध के पीड़ित के साथ निकट संबंध में है या आरोपी व्यक्ति की दोषसिद्धि से संबंधित है। यहां तक कि उसकी गवाही भी प्रासंगिक है, हालांकि, ऐसे पीड़ित की विश्वसनीयता का फैसला करते समय कड़ी जांच की आवश्यकता होती है।

हालाँकि, इन गवाहों या गवाहों के अलावा जो स्वयं पीड़ित हो सकते हैं, अन्य गवाहों के पास कोई नहीं हो सकता है

किसी मामले के परिणाम में व्यक्तिगत हित। वे अभी भी न्यायिक प्रणाली की मदद करते हैं। [पैरा 2] [635-ए-सी]

गिरीश द्वारा भारत में आपराधिक मुकदमे में गवाह संरक्षण

अभ्यंकर और असावरी अभ्यंकर-संदर्भित।

1.3 इसके बावजूद, भारतीय कानूनी प्रणाली में गवाहों की स्थितियों को 'दयनीय' कहा जा सकता है। वहाँ हैं। विभिन्न चरणों में गवाहों द्वारा सामना की जाने वाली कई धमकियाँ

जाँच और फिर किसी मामले की सुनवाई के दौरान। अपने और अपने रिश्तेदारों को जान से मारने की धमकी का सामना करने के अलावा, उसे नियमित रूप से अदालत में उपस्थित होने के आघात का सामना करना पड़ सकता है। भारत में गवाह संरक्षण कार्यक्रम की कमी के कारण महेंद्र चावला और ओआरएस।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

और उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है, उसके दौरान आगे आने और बयान देने में अनिच्छा की प्रवृत्ति होती है।

अदालतों में जाँच और/या गवाही देना। इन गवाहों के पास न तो कोई कानूनी उपाय है और न ही उनके साथ उचित व्यवहार किया जाता है। द. वर्तमान कानूनी प्रणाली गवाहों को पूरी तरह से हल्के में लेती है। उन्हें उनकी वित्तीय और व्यक्तिगत स्थितियों की परवाह किए बिना अदालत में बुलाया जाता है। कई बार उन्हें कथित अपराध की घटना के लंबे समय बाद पेश किया जाता है, जो वास्तविक अपराध के समय आवश्यक विवरणों को याद करने की उनकी क्षमता को काफी बाधित करता है। उन्हें समय की हानि और परिवहन आदि पर होने वाले खर्च के लिए भी उचित पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। [पैरा 3] [635-जी; 636-ए-सी]

स्वर्ण सिंह बनाम। पंजाब राज्य (2000) 5 एससीसी 68 -

पर भरोसा किया।

1.4 गवाहों के शत्रुतापूर्ण होने का एक मुख्य कारण यह है कि उन्हें राज्य द्वारा उचित सुरक्षा नहीं दी जाती है। यह.

यह एक कठोर वास्तविकता है, विशेष रूप से उन मामलों में जहां अभियुक्त व्यक्तियों/अपराधियों पर जघन्य अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाता है, या जहां अभियुक्त व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्ति हैं या एक प्रभावशाली स्थिति में हैं कि वे गवाहों को आतंकित करने या डराने का प्रयास करते हैं जिसके कारण ये गवाह या तो अदालतों में आने से बचते हैं या सच्चाई से गवाही देने से बचते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस कारण से बनी हुई है कि राज्य

गवाह विरोधी हो जाते हैं। यह बहुत हो रहा है अक्सर। इस घृणित घटना के कई कारण हो सकते हैं। [पैरा 6] [637-डी]

रमेश और अन्य बनाम। हरियाणा राज्य (2017) 1 एससीसी

529 : [2016] 8 एस. सी. आर. 936-पर निर्भर।

1.6 इन सब ने भारत में कम दोषसिद्धि की समस्या पैदा कर दी है। इसका आपराधिक न्याय प्रणाली पर गंभीर प्रभाव पड़ता है

स्वयं। आपराधिक न्याय मानवाधिकारों से निकटता से जुड़ा हुआ है। जबकि, एक ओर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी निर्दोष (2018) 14 एस. सी. आर. न हो।

व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और इस प्रकार उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है, दूसरी ओर, यह सुनिश्चित करना समान रूप से महत्वपूर्ण है कि पीड़ित

अपराध को अपराधी को दंडित करके न्याय मिलता है। इस पूरी प्रक्रिया में, गवाहों की सुरक्षा महत्वपूर्ण मानी जाती है ताकि वे निडरता और सच्चाई से गवाही दे सकें। यह निष्पक्ष सुनवाई भी सुनिश्चित करेगा, जो कानून के शासन का एक और सहवर्ती है। [पैरा 8] [643-सी-डी]

1.7 भौतिक गवाह को सुनने में विफलता निष्पक्ष सुनवाई से इनकार है। हालाँकि, गवाहों को सुरक्षा देने की प्रथा तदर्थता पर आधारित है, यानी मामले-दर-मामले के आधार पर। न्यायालयों ने गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न साधन अपनाए हैं। (क) गवाह के साक्षय का प्रकाशन केवल मुकदमे के दौरान और उसके बाद नहीं। (ख) गवाह के जीवन के लिए आशंका और खतरे के कारण पुनः मुकदमे की अनुमति दी गई। (ग) बलात्कार के मामलों में पीड़ितों के लिए अनामता की आवश्यकता। (घ) गवाह के उपस्थित रहने और अभियुक्त के अनुपस्थित रहने के मामलों में स्थगन प्राप्त करने की प्रथा को हतोत्साहित करना। (ङ) जमानत रद्द करने के आधार के रूप में गवाहों को धमकी देना। (च) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा प्रतिपरीक्षा।

[पैरा 13] [645-सी-जी]

नरेश श्रीधर मिराजकर और अन्य बनाम। की स्थिति महाराष्ट्र और एक अन्य [1966] 3 एस. सी. आर. 744; सुनील कुमार पाल बनाम। फोता शेख और अन्य ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1591; दिल्ली घरेलू कामकाजी महिला मंच बनाम। भारत संघ (1995) 1 एससीसी 14: [1994] 4 पूरक। एससीआर 528; यू. पी. राज्य बनाम शंभू नाथ सिंह (2001) 4 एस. सी. सी. 667: [2001] 2 एससीआर 854; राम गोविंद उपाध्याय बनाम। सुदर्शन सिंह द्वितीय (2002) एस. एल. टी. 587-संदर्भित।

आज हमला। यदि कोई धमकी या अन्य दबावों के कारण अदालतों में गवाही देने में असमर्थ है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 का स्पष्ट उल्लंघन है। संविधान। इसके लोगों को जीवन के अधिकार की गारंटी दी गई है।

देश में ऐसे समाज में रहने का अधिकार भी शामिल है, जो अपराध और भय से मुक्त है और गवाहों को बिना किसी डर या दबाव के अदालतों में गवाही देने का अधिकार है। [पैरा 16] [647-ए-बी]

एनएचआरसी बनाम। गुजरात राज्य 2003 (9) स्केल 329; पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी. यू. सी. एल.) v. भारत संघ 2003 (10) स्केल 967; ज़हिरा बनाम।

गुजरात राज्य-महेंद्र चावला और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

(2004) 4 एससीसी 158: [2004] 3 एस. सी. आर. 1050; साक्षी बनाम. भारत संघ (2004) 5 एस. सी. सी. 518 [2004] 2 पूरक। एस. सी. आर. 723; ज़हिरा हबीबुल्ला शेख बनाम। गुजरात 2006

(3) स्केल 967 संदर्भित है।

1.9 गवाह संरक्षण योजना, 2018 केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है।

1.10 गवाह संरक्षण योजना, 2018 की आवश्यक विशेषताओं में खतरे की धारणाओं की श्रेणियों की पहचान करना, पुलिस प्रमुख द्वारा "खतरे का विश्लेषण रिपोर्ट" तैयार करना, सुरक्षा उपायों के प्रकार जैसे यह सुनिश्चित करना शामिल है कि जाँच के दौरान गवाह और आरोपी आमने-सामने नहीं आते हैं

पहचान की सुरक्षा, पहचान में परिवर्तन, गवाह का स्थानांतरण, गवाहों को योजना से अवगत कराया जाना, गोपनीयता आदि।

और अभिलेखों का संरक्षण, खर्चों की वसूली आदि। [पैरा 26] [661-एफ-जी]

1.11 चूँकि यह एक लाभकारी और परोपकारी योजना है जिसका उद्देश्य इस देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करना है, जो बदले में न केवल न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करेगी बल्कि न्याय तक पहुंच भी सुनिश्चित करेगी।

न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने यह भी स्वीकार किया कि उपयुक्त निर्देश दिए जा सकते हैं - विधानमंडलों द्वारा कानून के अधिनियमन तक न्यायालय के अधिदेश के रूप में उक्त योजना को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा पारित।

[पैरा 27] [661-जी-एच]

1.12 साक्षी के मामले में, अदालत ने गवाहों की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। इसने विधि आयोग से कुछ बातों की जांच करने का भी अनुरोध किया था। जिसके परिणामस्वरूप विधि आयोग द्वारा बलात्कार कानूनों की 172 वीं समीक्षा की गई। हालांकि, अदालत ने विशेष रूप से खारिज कर दिया

अभियुक्त की अनुपस्थिति में कमजोर गवाहों की जाँच के संबंध में विधि आयोग का सुझाव। दंड संहिता की धारा 273 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए

प्रक्रिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के सिद्धांतों पर आधारित है, कि गवाह से [2018] 14 एस. सी. आर. की उपस्थिति में पूछताछ की जानी चाहिए।

अभियुक्त, यौन अपराधों के संबंध में परीक्षणों और पूछताछ में इस तरह के सिद्धांत का त्याग नहीं किया जा सकता है। ऐसे परिदृश्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन गवाहों की परीक्षा समाधान प्रदान करती है जो आरोपी के साथ-साथ कमजोर गवाहों के हितों को संतुलित करती है। [पैरा 29] [662-सी-ई]

* साक्षी बनाम। भारत संघ (2004) 5 एससीसी 518: [2004]

2 पूरक। एस. सी. आर. 723-संदर्भित।

1.13 गवाह संरक्षण योजना, 2018 के भाग II (7) (L) में विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए विशेष अदालत कक्ष का उपयोग करने का प्रावधान है।

गवाहों और अभियुक्तों के लिए विकल्प के साथ अलग-अलग मार्गों के अलावा लाइव लिंक, एक तरफा दर्पण और स्क्रीन जैसी व्यवस्था

गवाह के चेहरे की छवि को संशोधित करना और गवाह की आवाज के ऑडियो फीड को संशोधित करना, ताकि उसकी पहचान न हो। [पैरा 30] [662-एफ]

1.14 वैधानिक रूप में गवाह संरक्षण व्यवस्था की सर्वोपरि आवश्यकता है, जो सभी हितधारकों और सभी हितधारकों के लिए आवश्यक है।

आपराधिक न्याय प्रणाली में खिलाड़ी स्वीकार करते हैं। साथ ही इस तरह का कोई कानून नहीं बनाया गया है। ये हैं। जिन विचारों ने इस न्यायालय को गवाह संरक्षण की एक समग्र व्यवस्था के लिए प्रभावित किया था, जिसे एक उपयुक्त कानून बनाए जाने तक संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत कानून माना जाना चाहिए। [पैरा 34] [664-ए-बी]

1.15 प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा तैयार की गई योजना को मंजूरी दी गई है।

यह तुरंत लागू हो जाता है। भारत संघ के साथ-साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश गवाह संरक्षण को लागू करेंगे।

योजना, 2018 अक्षर और भावना में। यह संविधान के अनुच्छेद 141/142 के तहत 'कानून' होगा, जब तक कि उपयुक्त अधिनियम लागू नहीं हो जाता।

इस विषय पर संसदीय और/या राज्य विधान। योजना में निहित उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप, भारत के सभी जिला न्यायालयों में, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संवेदनशील गवाह बयान परिसरों की स्थापना की जाएगी। यह एक वर्ष की अवधि के भीतर, यानी वर्ष 2019 के अंत तक हासिल किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को भी इसका समर्थन करना चाहिए। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का

वित्तीय और अन्यथा सहायता करने का प्रयास। [पैरा 35] [664-सी-एफ] महेंद्र चावला और ओआरएस।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

महाराष्ट्र राज्य बनाम। बंदू @दौलत 2018 (11)

एस. सी. सी. 163-संदर्भित।

2. इस न्यायालय ने 24 मार्च, 2017 के आदेश द्वारा निर्देश दिया था

पूर्ण और उचित सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य

याचिकाकर्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करके संरक्षण। [पैरा 18] [647-डी]

मामला कानून संदर्भ

(2000) 5 एससीसी 68

उस पर भरोसा करें

पै

रा 4

[2016] 8 एससीआर 936

उस पर भरोसा करें

पै

रा 7

पैरा 9

संदर्भित किया गया है

2003 (9) स्केल 329

2003 (10) स्केल 967

पै

रा 9

संदर्भित किया गया है

[2004] 3 एससीआर 1050

संदर्भित किया गया है

पै

रा 9

(2004) 2 पूरक। एससीआर 723

संदर्भित किया गया है

पै

रा 9

पै

रा 9

2006 (3) स्केल 967

संदर्भित किया गया है

(2004) 2 पूरक। एससीआर 723

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

[1966] 3 एससीआर 744

संदर्भित किया गया है

पै

रा 13

संदर्भित किया गया है

पै

रा 13

ए. आई. आर 1984 एस. सी. 1591 (1994) 4 पूरक। एससीआर 528

संदर्भित किया गया है

पै

रा 13

[2001] 2 एससीआर 854

संदर्भित किया गया है

पै

रा 13

(2002) एसएलटी 587

पै

रा 13

संदर्भित किया गया है

(2018) 11 एससीसी 163

संदर्भित किया गया है

पै

रा 33

आपराधिक मूल

न्यायनिर्णय: लेखन याचिका

(आपराधिक) 2016 की सं. 156।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत आनंद मिश्रा, गौरव अग्रवाल, अधिवक्ता। याचिकाकर्ताओं के लिए।

के. के. वेणुगोपाल, एजी, तुषार मेहता, एसजी, बीरेंद्र कुमार

चौधरी, सुश्री पद्मा चौधरी, संजय कुमार विसेन, सुश्री रुचि कोहली, सुश्री निधि जसवाल, सुश्री सृष्टि मिश्रा, सुश्री हेमंतिका वाही, सुश्री जेसल वाही, सुश्री पूजा सिंह, सुश्री विशाखा, सुश्री दीपा एम. कुलकर्णी, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, तारा चंद्र शर्मा, जोहेब हुसैन, सुश्री चरण्या एल. कुमारन, बी. वी. बलराम दास, एस. उदय [2018] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कुमार सागर, मृत्युंजय सिंह, गुंटूर प्रभाकर, सुश्री प्रेरणा सिंह, एम. योगेश कन्ना, गुंजन कुमार, राजीव एम. रॉय, रंजन मुखर्जी, सुश्री अपराजित मुखर्जी, गोपाल सिंह, सुश्री विमला सिन्हा, तपेश कुमार सिंह, आदित्य प्रताप सिंह, सुश्री अरुणा माथुर, सुश्री अवनीश अर्पुथम, सुश्री अनुराधा अर्पुथम, सुश्री गीतांजलि, मैसर्स। अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी, एम. शोएब आलम, उज्जवल सिंह, मोजाहिद करीम खान, सुश्री आभा आर. शर्मा, डी. S.Parmarr, सुश्री सुजीता श्रीवास्तव, महेंद्र सिंह, जगदीश वी., सुश्री जी. इंदिरा, मृणाल के. एम., सिबो शंकर मिश्रा, एम. के. पांडे, निरंजन, सुश्री श्रिया मैनी, सुश्री के. एनातोली सेमा, अमित कुमार सिंह, सुश्री बांसुरी स्वराज, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, सर्वेश सिंह बघेल, बी. एन. दुबे, शुभदीप रॉय, ऋतुराज बिस्वास, सोमनाथ बनर्जी, निशे राजन शोंकर, उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. के. सिकरी, जे.

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर तत्काल रिट याचिका महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाती है इस देश में आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रभावकारिता। भारत द्वारा प्रचलित एक प्रतिकूल प्रणाली में, अदालत को अपने समक्ष प्रस्तुत साक्षय के आधार पर मामलों का फैसला करना होता है। यह प्रमाण दस्तावेजों के रूप में हो सकता है। यह मौखिक साक्षय भी हो सकता है, अर्थात

गवाहों का बयान। गवाह, इस प्रकार, अदालत को तथ्यों के विवादित प्रश्नों पर सही निष्कर्ष पर पहुंचने और यह पता लगाने में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि सच्चाई कहां है। इसलिए वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में रीढ़ हैं। जब भी किसी विवाद में दोनों पक्ष सामने आते हैं विरोधाभासी संस्करण, गवाह सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण बन जाते हैं, जिससे किसी मामले में न्याय आगे बढ़ता है। यह सिद्धांत आपराधिक मामलों में अधिक जोर और ताकत के साथ लागू होता है क्योंकि ऐसे अधिकांश मामलों का निर्णय गवाहों की गवाही के आधार पर किया जाता है, विशेष रूप से, चश्मदीद गवाह, जिन्होंने वास्तविक घटना/अपराध देखा होगा। यही कारण है कि बेंथम ने 150 से अधिक साल पहले कहा था कि "गवाह न्याय की आंखें और कान हैं"।

महेंद्र चावला और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[ए. के. सिकरी, जे.]

2. इस प्रकार, गवाह न्यायिक प्रणाली में महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं।

जो न्यायाधीशों को सही तथ्यात्मक निष्कर्षों पर पहुंचने में मदद करते हैं। साक्षय का साधन वह माध्यम है जिसके माध्यम से विवादित या साबित करने के लिए आवश्यक तथ्यों को प्रभावी ढंग से अदालतों तक पहुँचाया जाता है। इस बात का सबूत

दस्तावेजी और मौखिक रूप गवाहों द्वारा दिया जाता है। एक गवाह एक पक्षपाती या इच्छुक गवाह हो सकता है, यानी, एक गवाह जो अपराध के पीड़ित के साथ निकट संबंध में है या आरोपी व्यक्ति की सजा से संबंधित है। यहां तक कि उसकी गवाही भी प्रासंगिक है, हालांकि, ऐसे पीड़ित की विश्वसनीयता का फैसला करते समय कड़ी जांच की आवश्यकता होती है। हालाँकि, इन गवाहों या गवाहों के अलावा, जो स्वयं पीड़ित हो सकते हैं, अन्य गवाहों का किसी मामले के परिणाम में कोई व्यक्तिगत हित नहीं हो सकता है। वे अभी भी न्यायिक प्रणाली की मदद करते हैं। व्हिटेकर चैम्बर्स के शब्दों में, एक गवाह "एक ऐसा व्यक्ति है जिसका जीवन और विश्वास पूरी तरह से एक है कि जब बाहर निकलने और अपने विश्वास के लिए गवाही देने की चुनौती आती है, तो वह सभी जोखिमों को नजरअंदाज करते हुए, सभी परिणामों को स्वीकार करते हुए ऐसा करता है।

3. गवाह के महत्व को, विशेष रूप से आपराधिक मुकदमे में, एक पुस्तक में निम्नलिखित तरीके से उजागर किया गया है:

" सत्य की खोज में, वह सूर्य की वह पवित्र भूमिका निभाता है, जो अज्ञान के अंधेरे को दूर करता है और सूर्य के चेहरे को रोशन करता है।

न्याय, मानवता और करुणा के राक्षसों से घिरा हुआ है।

XXX

XXX

XXX

कार्यवाही के सभी चरणों में गवाहों की गवाही और सहयोग पर आपराधिक कार्यवाही की निर्भरता को ध्यान में रखते हुए गवाहों के मूल्य से इनकार नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से उन मामलों में जहां अभियोजन पक्ष को मौखिक क्रॉस के माध्यम से पूर्ण निश्चितता के साथ अपराध स्थापित करना है। ऐसे मामलों में, एक गवाह की गवाही, भले ही एक चश्मदीद गवाह के रूप में न हो, उन परिस्थितियों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है जिनमें

अपराध किया जा सकता है। "992

इसके बावजूद, भारतीय कानूनी प्रणाली में गवाहों की स्थितियों को 'दयनीय' कहा जा सकता है। जाँच के विभिन्न चरणों में और फिर जाँच के दौरान गवाहों को कई धमकियों का सामना करना पड़ता है।

' व्हिटेकर चैम्बर्स, विट्नेस क्वोट्स (7 जनवरी, 2014,10.30 पूर्वाह्न),

एचटीटीपी: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. ब्रेनी उद्धरण। कॉम/उद्धरण/मुख्य शब्द/गवाह।

2 गिरीश अभ्यंकर और असावरी अभ्यंकर द्वारा भारत में आपराधिक मुकदमे में गवाह संरक्षण [2018] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक मामले की सुनवाई। अपने और अपने रिश्तेदारों को जान से मारने की धमकी का सामना करने के अलावा, उसे नियमित रूप से अदालत में उपस्थित होने के आघात का सामना करना पड़ सकता है। भारत में गवाह संरक्षण कार्यक्रम की कमी और उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है, उसके कारण आगे आने और बयान देने में अनिच्छा की प्रवृत्ति है।

जाँच और/या अदालतों में गवाही दें। इन गवाहों के पास न तो कोई कानूनी उपाय है और न ही उनके साथ उचित व्यवहार किया जाता है। वर्तमान कानूनी प्रणाली गवाहों को पूरी तरह से हल्के में लेती है। उन्हें उनकी वित्तीय और व्यक्तिगत स्थितियों की परवाह किए बिना अदालत में बुलाया जाता है। कई बार उन्हें कथित अपराध की घटना के लंबे समय बाद पेश किया जाता है, जो वास्तविक अपराध के समय आवश्यक विवरणों को याद करने की उनकी क्षमता को काफी बाधित करता है। उन्हें समय की हानि और परिवहन आदि पर होने वाले खर्च के लिए भी उचित पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। 4. स्वर्ण सिंह बनाम पंजाब राज्य 3 में, इस न्यायालय ने वाधवा के माध्यम से बोलते हुए, जे. ने गवाहों की शर्तों पर यह कहते हुए विचार व्यक्त किया कि:

" गवाहों को बहुत परेशान किया जाता है। वे दूर-दराज से आते हैं और देखते हैं कि मामला स्थगित हो गया है। उन्हें कई बार अकेले अदालत में पेश होना पड़ता है। यह आम बात हो गई है कि मामला

गवाह के थक जाने और अदालत में आना बंद करने तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस प्रक्रिया में वकीलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कभी-कभी

गवाह को धमकी दी जाती है, अपंग कर दिया जाता है या रिश्वत भी दी जाती है। गवाहों को कोई सुरक्षा नहीं है। मामले को स्थगित करने से न्यायालय भी न्याय की इस तरह की विफलता का एक पक्ष बन जाता है। गवाह को अदालत द्वारा सम्मान नहीं दिया जाता है। उन्हें चपरासी द्वारा अदालत कक्ष से बाहर निकाला जाता है। पूरा दिन इंतजार करने के बाद वह मामले को स्थगित होते हुए देखता है। उसके बैठने और एक गिलास पानी पीने के लिए कोई उचित जगह नहीं है। जब वह प्रकट होता है, तो उसे लंबे समय तक विस्तारित परीक्षाओं और प्रतिपरीक्षाओं के अधीन किया जाता है। इन कारणों से लोग गवाह बनने से बचते हैं और इस वजह से

न्याय के प्रशासन में बाधा आती है। गवाहों को समय पर पैसे नहीं दिए जाते हैं। उच्च न्यायालयों को इन मामलों में सतर्क रहना चाहिए और अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा इन मामलों में उत्पीड़न से बचना चाहिए। गवाहों को इस तथ्य की परवाह किए बिना तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए कि वह जाँच करता है या मामला है।

स्थगित कर दिया। अब समय आ गया है कि सभी अदालतों को कंप्यूटर के माध्यम से एक-दूसरे से जोड़ा जाना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने

3 (2000) 5 एस. सी. सी. 68 678 पर।

महेंद्र चावला और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ए. के. सिकरी, जे.]

आपराधिक न्याय प्रणाली को पटरी पर लाने के लिए इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। हालाँकि ट्रायल जज को पता है कि गवाह झूठ बोल रहा है, फिर भी वह ऐसे गवाह के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसे उसी पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है। सुधार की जरूरत है।

Cr.P.C की धारा 340 (3) (b)।

5. इस बात पर शायद ही जोर दिया जाना चाहिए कि गवाहों के शत्रुतापूर्ण होने का एक मुख्य कारण यह है कि उन्हें उचित स्थान नहीं दिया जाता है

राज्य द्वारा संरक्षण। यह एक कठोर वास्तविकता है, विशेष रूप से उन मामलों में जहां अभियुक्त व्यक्तियों/अपराधियों पर जघन्य अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाता है, या जहां अभियुक्त व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्ति हैं या हावी स्थिति में हैं कि वे गवाहों को आतंकित करने या डराने का प्रयास करते हैं जिसके कारण ये गवाह या तो अदालतों में आने से बचते हैं या सच्चाई से गवाही देने से बचते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस कारण से बनी हुई है कि राज्य ने इन गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई सुरक्षात्मक उपाय नहीं किया है, जिसे आमतौर पर 'गवाह सुरक्षा' के रूप में जाना जाता है।

ऐसा अक्सर होता रहा है। इस घृणित घटना के कई कारण हो सकते हैं। 7. रमेश और अन्य बनाम हरियाणा राज्य के मामले में, इस न्यायालय ने कुछ कारणों का संकेत दिया था जो गवाहों को शत्रुतापूर्ण बनाते हैं, जैसा कि निम्नलिखित चर्चा से पता लगाया जा सकता है।

" 40. पिछले कुछ वर्षों के कुछ निर्णयों में, इस न्यायालय ने गवाहों के शत्रुतापूर्ण व्यवहार पर टिप्पणी की है और हम ऐसे कुछ निर्णयों को उद्धृत करना चाहेंगे। कृष्ण मोची बनाम। बिहार राज्य [कृष्ण मोची बनाम। बिहार राज्य (2002) 6 एस. सी. सी. 81 2002 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1220], यह न्यायालय

निम्नलिखित रूप में देखा गया: (एस. सी. सी पी. 104, पैरा 31)

" 31. यह आम अनुभव की बात है कि हाल के दिनों में सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों में तेज गिरावट आई है, यहां तक कि हमारे जैसे विकसित देशों में भी, जहां गिरावट का अनुपात अधिक है। सामान्य मामलों में भी, गवाह गवाही देने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं या कई कारणों से अदालतों द्वारा उनके साक्षय को विश्वसनीय नहीं पाया जाता है। एक.

4 (2017) 1 एससीसी 529 [2018] 14 एस. सी. आर.

इसके कारणों में से एक यह हो सकता है कि उनके पास अपने जीवन के लिए खतरे के कारण किसी आरोपी के खिलाफ गवाही देने का साहस नहीं है, विशेष रूप से तब जब अपराधी आदतन अपराधी हैं या सरकार में उच्च अधिकारी हैं या शक्तियों के करीब हैं, जो राजनीतिक, आर्थिक या बाहुबल सहित अन्य शक्तियां हो सकती हैं।

" 41. इसी तरह, ज़हिरा हबीबुल्लाह शेख (5) v. गुजरात राज्य [ज़हिरा हबीबुल्लाह शेख (5) बनाम। गुजरात राज्य (2006) 3 एस. सी. सी. 374: (2006) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 8], इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ समस्या पर प्रकाश डाला: (एससीसी पीपी। 396-98 , पैरा 40-41)

" 40. " गवाहों "जैसा कि बेंथम ने कहा: “ न्याय की आंखें और कान हैं। इसलिए, परीक्षण प्रक्रिया की गुणवत्ता का महत्व और प्रधानता। यदि गवाह स्वयं न्याय की आँख और कान के रूप में कार्य करने में असमर्थ है, तो मुकदमा विकृत और लकवाग्रस्त हो जाता है, और यह अब एक निष्पक्ष परीक्षण का गठन नहीं कर सकता है। असमर्थता कई कारकों के कारण हो सकती है, जैसे कि गवाह अदालत में सच बोलने के लिए नियंत्रण से परे कारणों से या लापरवाही या अज्ञानता या कुछ भ्रष्ट कारणों से स्थिति में नहीं है।

सांठगांठ। गवाहों के बार-बार शत्रुतापूर्ण होने के कारण अदालत द्वारा सामना किए जाने वाले कई अनुभवों के कारण कार्रवाई करने का समय आ गया है, या तो सत्ता में रहने वालों, उनके गुर्गों और भाड़े के लोगों, राजनीतिक दबदबे और संरक्षण और अनगिनत अन्य भ्रष्ट प्रथाओं के इशारे पर धमकियों, जबरदस्ती, प्रलोभन और मौद्रिक विचारों के कारण।

सामने आने वाली सच्चाई और वास्तविकताओं को दबाने और दबाने के लिए। व्यापक सार्वजनिक और सामाजिक हितों के लिए आवश्यक है कि अपराध के पीड़ित जो अभियोजन के लिए आम तौर पर पक्षकार नहीं हैं और राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व उनके अभियोजन द्वारा किया जाए

एजेंसियों को कोई नुकसान नहीं होता है। गवाह की रक्षा करने की आवश्यकता आती है। समय आ गया है जब गवाहों की रक्षा के लिए गंभीर और निर्विवाद विचार रखे जाने चाहिए ताकि अदालत और न्याय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम सत्य की जीत हो और मुकदमा उपहास तक सीमित न रहे। ..... 41. गवाहों की रक्षा करने में राज्य की एक निश्चित भूमिका है, कम से कम सत्ता में बैठे लोगों से जुड़े संवेदनशील मामलों में, जिनके पास राजनीतिक संरक्षण है और जो बाहुबल और धन का उपयोग कर सकते हैं, ताकि मुकदमे को दूषित और पटरी से उतरने और सच्चाई को हताहत होने से रोका जा सके। इसके हेंडर चावला और ओआरएस के रक्षक के रूप में।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ए. के. सिकरी, जे.]

नागरिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अदालत में मुकदमे के दौरान गवाह उन लोगों द्वारा प्रेरतवाधित होने के किसी भी डर के बिना सच्चाई को सुरक्षित रूप से बयान कर सकता है जिनके खिलाफ उसने गवाही दी थी। प्रत्येक राज्य का अपने नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने का संवैधानिक दायित्व और कर्तव्य है। यही मूलभूत आवश्यकता है कि

कानून के शासन का पालन। किसी भी बाहरी कारक के कारण इस आवश्यकता से कोई विचलन नहीं हो सकता है जैसे जाति , पंथ, धर्म, राजनीतिक विश्वास या विचारधारा। प्रत्येक राज्य को इन मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में पता होना चाहिए और यह

कोई प्रतिशोध (एस. आई. सी. पुनरावृत्ति) की आवश्यकता नहीं है। हम यह केवल गुजरात राज्य के खिलाफ की गई आलोचना के संबंध में कह सकते हैं। आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (संक्षेप में "टाडा अधिनियम") जैसे कुछ विधायी अधिनियमों ने बाहुबल, धन शक्ति या राजनीतिक लोगों के खिलाफ गवाही देने के लिए गवाहों द्वारा दिखाई गई अनिच्छा पर ध्यान दिया है।

शक्ति जो दिन का क्रम बन गया है। यदि अंततः सत्य तक पहुँचना है, तो न्याय की आंखें और कान होना चाहिए।

संरक्षित किया जाता है ताकि न्याय के हित अदालतों के समक्ष कार्यवाही को केवल नकली परीक्षण बनाने के अर्थ में अक्षम न हों जैसा कि आमतौर पर फिल्मों में देखा जाता है।

" 42. इसी तरह, साक्षी बनाम में। भारत संघ [साक्षी बनाम। भारत संघ, (2004) 5 एस. सी. सी. 518: 2004 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1645], गवाहों के शत्रुतापूर्ण होने के खतरे को फिर से निम्नलिखित में वर्णित किया गया था:

शब्दः (एससीसी पीपी। 544-45 , पैरा 32) " 32. अभियुक्त को केवल देखने से पीड़ित या गवाहों के मन में अत्यधिक भय पैदा हो सकता है या वे सदमे की स्थिति में आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वह उस घटना का पूरा विवरण न दे पाए जिसके परिणामस्वरूप

न्याय की विफलता। इसलिए, एक स्क्रीन या कुछ ऐसा व्यवस्था की जा सकती है जहाँ पीड़ित या गवाह नहीं करते हैं

अभियुक्त के शरीर या चेहरा देखने के आघात से गुजरना पड़ता है। अक्सर प्रतिपरीक्षा में रखे गए प्रश्न जानबूझकर बलात्कार और बाल शोषण के पीड़ितों को शर्मिंदा करने या भ्रमित करने के लिए बनाए जाते हैं। उद्देश्य यह है कि शर्म या शर्मिंदगी की भावना से, पीड़ित न तो बोल सकता है और न ही इसका विवरण दे सकता है। अभियुक्त द्वारा किए गए कुछ कार्य। इसलिए, बेहतर होगा कि अभियुक्त द्वारा जिरह में रखे जाने वाले प्रश्न अदालत के पीठासीन अधिकारी को लिखित रूप में दिए जाएं, जो [2018] 14 एस. सी. आर. रख सकते हैं।

पीड़ित या गवाह के लिए ऐसी भाषा में जो शर्मनाक न हो। याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए अन्य सुझाव पर शायद ही कोई आपत्ति हो कि जब भी किसी बच्चे या बलात्कार की पीड़ित को गवाही देने की आवश्यकता होती है, तो पर्याप्त ब्रेक दिए जाने चाहिए।

आवश्यकता पड़ने पर दिया जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 की उप-धारा (2) के प्रावधान आई. पी. सी. की धारा 354 और 377 के तहत अपराधों की जांच या मुकदमे में भी लागू होने चाहिए। 43. राज्य में वी। संजीव नंदा [राज्य बनाम। संजीव नंदा, (2012) 8 एससीसी 450: (2012) 4 एस. सी. सी. (सी. वी.) 487: (2012) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 899], न्यायालय ने बढ़ती परेशानियों को दोहराने में विवश महसूस किया।

पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली को कमजोर करता है और लोग यह धारणा कि शक्तिशाली और शक्तिशाली हमेशा कानून के चंगुल से दूर हो सकते हैं, जिससे लोगों का विश्वास कम हो जाता है

प्रणाली।

100. यू. पी. राज्य बनाम में यह न्यायालय। रमेश प्रसाद मिश्रा [उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। रमेश प्रसाद मिश्रा (1996) 10 एस. सी. सी. 360: 1996 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1278] ने अभिनिर्धारित किया कि यह समान रूप से स्थापित कानून है कि यदि अभियोजन या अभियुक्त के पक्ष में कहा जाता है तो शत्रुतापूर्ण गवाह के साक्षय को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह निकटतम जांच के अधीन हो सकता है और साक्षय का वह हिस्सा जो अभियोजन या बचाव के मामले के अनुरूप है, स्वीकार किया जा सकता है। के. अनबाझगनव में। सुप्ट। पुलिस का [के. अनबाझगन बनाम। सुप्ट। पुलिस विभाग, (2004) 3 एस. सी. सी. 767: 2004 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 882], इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि किसी न्यायालय को लगता है कि इस प्रक्रिया में गवाह का श्रेय है

यदि वह पूरी तरह से विचलित नहीं हुआ है, तो वह गवाह के साक्षय को समग्र रूप से पढ़ने और उस पर विचार करने के बाद, उचित सावधानी के साथ, अभिलेख पर साक्षय के प्रकाश में, अपनी गवाही के उस हिस्से को स्वीकार कर सकता है जिसे वह विश्वसनीय पाता है और उस पर कार्रवाई कर सकता है। निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा तत्काल मामले में ठीक यही किया गया था [संजीव नंदा बनाम। राज्य, 2009 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 2039: (2009) 160 डी. एल. टी. 775] और उन्होंने अभियुक्त को दोषी पाया।

हेंडर चावला और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ए. के. सिकरी, जे.]

101. हालाँकि, हम उस तत्काल मामले में परेशान करने वाले तथ्य पर अपनी आँखें बंद नहीं कर सकते हैं जहाँ घायल गवाह, जो मौके पर मौजूद था, भी मुकर गया था। मनु शर्मा बनाम में यह न्यायालय। राज्य

(दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) [मनु शर्मा बनाम। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), (2010) 6 एस. सी. सी. 1: (2010) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1385] और ज़हिरा हबीबुल्लाह शेख (5) बनाम। गुजरात राज्य [ज़हिरा हबीबुल्लाह शेख

(5) वी. गुजरात राज्य (2006) 3 एस. सी. सी. 374: (2006) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 8] ने पुलिस और प्रशासन द्वारा बयानों को सही ढंग से दर्ज न करने जैसी प्रणाली में स्पष्ट दोषों को उजागर किया था।

अभियोजन पक्ष के गवाह द्वारा धमकी, प्रलोभन और हेरफेर के अन्य तरीकों के कारण बयानों को वापस लेना। हालाँकि, अदालतें वास्तविकता पर अपनी आँखें बंद नहीं कर सकती हैं। यदि कोई गवाह न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने के लिए शत्रुतापूर्ण हो जाता है, तो अदालत मूक दर्शक के रूप में खड़ी नहीं होगी और उसे घर लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।

(v) लंबे समय तक चलने वाले परीक्षण। (vi) जाँच और मुक़दमे के दौरान गवाहों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। (vii) शत्रुता को रोकने के लिए किसी भी स्पष्ट कानून का अस्तित्व न होना।

गवाहों से।

45. गवाहों की शत्रुता के प्रमुख कारणों में से एक धमकी और धमकी रही है। बेंथम ने कहा: गवाह न्याय की आँख और कान हैं। जब गवाह अदालत में सही ढंग से गवाही देने में सक्षम नहीं होते हैं, तो इसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि की दर कम हो जाती है और कई बार कठोर अपराधी भी दोषसिद्धि से बच जाते हैं। यह आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली में जनता के विश्वास को हिलाता है। यही कारण है कि गवाहों की सुरक्षा पर बहुत चर्चा हुई है और विभिन्न हलकों से राज्य के लिए मांग की जाती है गवाह संरक्षण [2018] 14 एस. सी. आर. के साथ सामने आने में एक निश्चित भूमिका निभाना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कार्यक्रम, कम से कम सत्ता में बैठे लोगों से जुड़े संवेदनशील मामलों में, जिनके पास राजनीतिक संरक्षण है और जो ताकत और धन का उपयोग कर सकते हैं

शक्ति, परीक्षण को दूषित और पटरी से उतरने और सत्य को हताहत होने से रोकने के लिए। ज़हिरा हबीबुल्लाह मामले [ज़हिरा हबीबुल्लाह शेख] में इस आशय का एक कड़ा और जोरदार संदेश दिया गया था।

(5) वी. गुजरात राज्य (2006) 3 एस. सी. सी. 374: (2006) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 8]।

46. गवाहों को सच्चाई से और बिना किसी डर के गवाही देने में सक्षम बनाने के लिए गवाहों की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपायों को उचित ठहराते हुए, आपराधिक न्याय के सुधारों पर न्यायमूर्ति मलिमथ समिति की रिपोर्ट

प्रणाली, 2003 ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

" 11.3 . एक अन्य बड़ी समस्या गवाहों और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के बारे में है जो विभिन्न चरणों में खतरे का सामना करते हैं। उन्हें अक्सर धमकी दी जाती है और धमकी की गंभीरता मामले के प्रकार और आरोपी और उसके परिवार की पृष्ठभूमि पर निर्भर करती है। कई बार महत्वपूर्ण गवाहों को अदालत में गवाही देने से पहले धमकी दी जाती है या घायल किया जाता है। अगर गवाह अभी भी नहीं है उसकी हत्या भी हो सकती है। ऐसी स्थितियों में गवाह तब तक साक्षय देने के लिए आगे नहीं आएगा जब तक कि उसे सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया जाता है या उसे किसी प्रकार के शारीरिक भेष की गुमनामी की गारंटी नहीं दी जाती है। गवाह और उसके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक कानून बनाने का समय आ गया है।"

47. भारत के विधि आयोग की अपनी 198 वीं रिपोर्ट ["गवाह पहचान संरक्षण और गवाह संरक्षण कार्यक्रमों" पर रिपोर्ट] में टिप्पणियों का लगभग समान प्रभाव है। , जैसा कि उसमें निम्नलिखित चर्चा से देखा जा सकता है: " कारण खोजना दूर की बात नहीं है। आतंकवाद और महिलाओं और किशोरों के खिलाफ यौन अपराधों के पीड़ितों के मामले में, हम निपट रहे हैं

समाज के एक वर्ग के साथ जिसमें बहुत कमजोर लोग शामिल हैं, चाहे वे पीड़ित हों या गवाह। पीड़ित और गवाह अपने जीवन या अपने रिश्तेदारों या अपनी संपत्ति के लिए डर या खतरे में हैं। यह स्पष्ट है कि भारतीय दंड संहिता, 1860 और अन्य विशेष अधिनियमों के तहत गंभीर अपराधों के मामले में, कुछ

जिनका हमने ऊपर उल्लेख किया है, पीड़ितों और गवाहों के लिए बिल्कुल समान परिस्थितियाँ होना तय है। जबकि

विशेष कानूनों के तहत कुछ अपराधों के मामले में पीड़ितों और गवाहों के लिए इस तरह का डर या खतरा अधिक सामान्य हो सकता है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ए. के. सिकरी, जे.]

कुछ गंभीर अपराधों में शामिल या संबंधित पीड़ितों और गवाहों के मामले में, भय कम महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। जाहिर है, यदि विशेष अपराधों के मामले में मुकदमे को आरोपी के साथ-साथ पीड़ितों/गवाहों दोनों के लिए निष्पक्ष होना है, तो इसका कोई कारण नहीं है कि भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत आने वाले गंभीर प्रकृति के अन्य सामान्य अपराधों के मामले में यह समान रूप से निष्पक्ष क्यों नहीं होना चाहिए। यह डर या खतरा है या बल्कि

इसकी संभावना दोनों मामलों में समान है। यही कारण है कि अन्य देशों में कई सामान्य कानूनों में पीड़ित और गवाह के लिए प्रावधान किया गया है

सुरक्षा "।

8. इन सब ने भारत में कम दोषसिद्धि की समस्याएं पैदा की हैं। इसका आपराधिक न्याय प्रणाली पर ही गंभीर प्रभाव पड़ता है। अपराधी

न्याय मानवाधिकारों से निकटता से जुड़ा हुआ है। जहां एक ओर यह सुनिश्चित किया जाना है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति दोषी नहीं ठहराया जाए और इस तरह उसकी स्वतंत्रता से वंचित न किया जाए, वहीं दूसरी ओर यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि अपराध के पीड़ितों को अपराधी को दंडित करके न्याय मिले। इस पूरी प्रक्रिया में, गवाहों की सुरक्षा महत्वपूर्ण मानी जाती है ताकि वे निडरता और सच्चाई से गवाही दे सकें। यह निष्पक्ष सुनवाई भी सुनिश्चित करेगा, जो कानून के शासन का एक और सहवर्ती है।

9. चूंकि यह मामला गवाहों की सुरक्षा के मुद्दे से संबंधित है, इसलिए हम गवाहों के सामने आने वाले अन्य दुखों पर आगे कोई चर्चा करने से बच रहे हैं।

गवाह, हालांकि हम इस बात पर जोर देते हैं कि यदि इस देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को सफल बनाना है तो अन्य समस्याओं को भी उचित स्तर पर संबोधित करने की आवश्यकता है। गवाहों की सुरक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए, हम यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस न्यायालय सहित भारत में न्यायालयों द्वारा बार-बार इस पर प्रकाश डाला गया है और इस पर जोर दिया गया है। गवाहों की पहचान की सुरक्षा और गवाह सुरक्षा कार्यक्रम के मुद्दे उठाए गए हैं।

एन. एच. आर. सी. बनाम गुजरात राज्य, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी. यू. सी. एल.) बनाम भारत संघ, ज़हिरा बनाम गुजरात राज्य, साक्षी बनाम भारत संघ और ज़हिरा हबीबुल्ला शेख बनाम गुजरात जैसे कई निर्णय।

10. पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज में, जिसमें आतंकवाद निवारण अधिनियम (पोटा) के कुछ प्रावधान संवैधानिक हैं,

$ 2003 (9) स्केल 329

62003 (10 (स्केल 967

(2004) 4 एससीसी 158

8 (2004) 5 एस. सी. सी. 518 9 2006 (3) स्केल 967 [2018] 14 एससीआर।

2002 , अदालत ने अधिनियम की धारा 30 का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया, जिसमें गवाहों के संरक्षण का उल्लेख किया गया था। यह प्रावधान गवाह की पहचान को गोपनीय रखने के लिए कार्यवाही को कैमरे में रखने का प्रावधान करता है। अदालत ने इस वास्तविकता को महसूस किया कि अक्सर गवाह अदालत के समक्ष गवाही देने के लिए आगे नहीं आते हैं।

गंभीर अपराध। गवाह मुख्य रूप से सबूत देने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है। अदालत के विचार में, अधिनियम की धारा 30 गवाह के अधिकारों, अभियुक्त के अधिकारों और जनता के हित के बीच संतुलन बनाए रखती है। हालाँकि, गवाह की गोपनीयता एक अपवाद है और इस धारा के तहत एक नियम नहीं है। 11. एक बाल गवाह, जो पीड़ित भी हो सकता है, की सुरक्षा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। साक्षी बनाम भारत संघ "में,

अदालत ने जोर देकर कहा कि गवाहों की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाने की सख्त आवश्यकता है। न्यायालय ने बाल गवाह से साक्षय लेने की प्रक्रिया पर कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए थे। अदालत ने

अदालत में अपना बयान दर्ज करते समय यौन शोषण की पीड़ित को विशेष सुरक्षा की आवश्यकता की ओर भी इशारा किया। उस मामले में याचिकाकर्ता ने बाल यौन शोषण के मामलों में गवाही के लिए विशेष प्रावधानों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कुछ सुझाव दिए थे, जो इस प्रकार थे:

क) न्यायाधीश बाल-सहायक व्यक्ति की उपस्थिति में बच्चे की गवाही के वीडियो टेप साक्षात्कार का उपयोग करने की अनुमति देंगे।

ग) बचाव पक्ष द्वारा लिखित रूप में दिए गए प्रश्नों के आधार पर केवल न्यायाधीश को नाबालिग से जिरह करने की अनुमति दी जानी चाहिए। नाबालिग की जाँच।

घ) बच्चे की गवाही के दौरान, पर्याप्त अंतराल होना चाहिए

जब उसे इसकी आवश्यकता होती है तब प्रदान किया जाता है।

12. कुछ अन्य निर्णयों में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित तरीके से कुछ और दिशानिर्देश दिए: क) भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 377 पर उप-धारा के तहत उल्लिखित सिद्धांतों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उनसे पूछताछ की जानी चाहिए।

(2) धारा 327 Cr.P.C।

10 (2004) 5 एस. सी. सी. 518 महेंद्र चावला और ओ. आर. एस. वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ए. के. सिकरी, जे.]

ख) बलात्कार या बाल यौन शोषण का मुकदमा चलाते समय, किसी प्रकार का

स्क्रीन या इस तरह की व्यवस्था का उपयोग किया जा सकता है ताकि

यह सुनिश्चित करें कि पीड़ित या गवाह (जो समान रूप से कमजोर हैं और जिन्हें पीड़ित की तरह सुरक्षा की आवश्यकता है) अभियुक्त का सामना न करें;

ग) प्रतिपरीक्षा के दौरान वकील द्वारा उठाए गए प्रश्न

अभियुक्तों में से जो सीधे तौर पर पीड़ित या घटना के गवाहों से संबंधित हैं और याद दिलाते हैं, उन्हें लिखा जाना चाहिए और अदालत के पीठासीन अधिकारी को पहले से दिया जाना चाहिए। पीठासीन अधिकारी को पीड़ित या गवाह से उन प्रश्नों को सरल और स्पष्ट भाषा में और जहां तक संभव हो उसे असहज किए बिना पूछना चाहिए।

13. इस बात पर शायद ही जोर देने की आवश्यकता है कि सामग्री सुनने में विफलता

गवाह निष्पक्ष सुनवाई से इनकार है। हालाँकि, गवाहों को सुरक्षा देने की प्रथा तदर्थता पर आधारित है, यानी मामले-दर-मामले के आधार पर। अदालतों ने इस प्रक्रिया में गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग तरीके भी अपनाए हैं, जिन्हें संक्षेप में विस्तार से बताया जा सकता है:

(क) केवल पाठ्यक्रम के दौरान गवाह के साक्ष्य का प्रकाशन

मुकदमे का और उसके बाद नहीं [नरेश श्रीधर मिराजकर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और दूसरा; [1966 (3) एससीआर 744]

(ख) आशंका और जीवन के लिए खतरे के कारण पुनः परीक्षण की अनुमति दी गई

गवाह [सुनील कुमार पाल बनाम फोता शेख और अन्य; ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1591]

(ग) बलात्कार के मामलों में पीड़ितों के लिए गुमनामी की आवश्यकता [दिल्ली]

घरेलू कामकाजी महिला मंच बनाम भारत संघ; (1995) 1 एस. सी. सी. 14)]

(घ) मामलों में स्थगन प्राप्त करने की प्रथा को हतोत्साहित करना।

जब गवाह उपस्थित हो और अभियुक्त अनुपस्थित हो। [यू. पी. बनाम राज्य शंभू नाथ सिंह; (2001) 4 एससीसी 667]

(ई) गवाहों को धमकी देना रद्द करने का आधार बनाना।

जमानत का [राम गोविंद उपाध्याय बनाम। सुदर्शन सिंह; II (2002) SLT 587]

(च) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा प्रतिपरीक्षा

यह एक

तैयार किए गए नवीन तरीकों में से, जो विशेष रूप से सहायक हैं यौन अपराधों के पीड़ित, विशेष रूप से, बाल गवाह जो अपराध के शिकार भी होते हैं।

8] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14. तत्काल मामले में ही याचिकाकर्ताओं ने इन आरोपों के साथ इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों में

आसाराम, जिन पर कई मामलों में बलात्कार करने का आरोप है, गवाहों को गंभीर धमकी दी गई है यदि वे आसाराम के खिलाफ गवाही देते हैं तो परिणाम। आरोप है कि

15. इस याचिका में चार याचिकाकर्ता हैं। इन याचिकाकर्ताओं में एक गवाह, एक हत्या किए गए गवाह के पिता, बाल बलात्कार पीड़िता के पिता और एक पत्रकार शामिल हैं जो आसाराम और उनके बेटे नारायण साई के गुंडों द्वारा हत्या के प्रयास से बच गए थे और अभी भी आसाराम और नारायण साई के जेल में बंद शार्पशूटर द्वारा जान से मारने की धमकियों का सामना कर रहे हैं। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 महेंद्र चावला चमत्कारिक रूप से उनकी हत्या के प्रयास में बच गए। एक बच्चे और दो बहनों के बलात्कार के भयावह मामलों में तथाकथित धर्मगुरु, आसाराम बापू और उनके बेटे नारायण साई के खिलाफ गवाही देने का साहस करने के लिए जीवन।

याचिकाकर्ता नं. 1 नारायण साई को मध्य प्रदेश के एक आसाराम में एक बच्चे के शव पर तांत्रिक अभ्यास करते हुए भी देखा गया, जिसमें आज तक आसाराम के प्रभाव के कारण कोई जांच नहीं हुई है।

निरंतर भय। यह भी आरोप लगाया जाता है कि धमकी दिए जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी आधी सुरक्षा वापस ले ली। याचिकाकर्ता नं. 4 , नरेंद्र यादव एक पत्रकार हैं जो आसाराम बापू और नारायण साई की नापसंदगी पर लेख लिखने की हिम्मत करने के कारण अपने जीवन पर हत्या के प्रयास से बच गए। अब वह मारे जाने के लगातार डर में जी रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड दिया है। दिन में आठ घंटे, उसे शेष 16 घंटों के दौरान खुद के लिए छोड़ देते हैं। यह भी माना जाता है कि आसाराम का शार्प शूटर, नारायण पांडे, जो एक गवाह कृपाल सिंह की हत्या के लिए जेल में है, जेल के अंदर से उसे धमकी भरे पत्र लिखता है।

16. याचिकाकर्ताओं ने अदालत की निगरानी में एस. आई. टी. या सी. बी. आई. जांच की मांग की है। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह कहा गया है कि महेंद्र चावला और ओआरएस की प्रचलित भावना।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ए. के. सिकरी, जे.]

देश में गवाहों के बीच भय इस देश के लोगों के कानून के शासन द्वारा शासित एक स्वतंत्र समाज में रहने के अधिकार को गंभीर रूप से बाधित करता है। बिना किसी दबाव और धमकी के स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अदालतों में गवाही देने का अधिकार आज गंभीर हमले का शिकार है। यदि कोई धमकी या अन्य दबावों के कारण अदालतों में गवाही देने में असमर्थ है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 का स्पष्ट उल्लंघन है। जीवन के अधिकार की गारंटी इस देश के लोगों में ऐसे समाज में रहने का अधिकार भी शामिल है, जो अपराध और भय से मुक्त है और गवाहों को बिना किसी डर या दबाव के अदालतों में गवाही देने का अधिकार है।

17. याचिकाकर्ताओं ने शुरू में भारत संघ को प्रतिवादी संख्या 1 और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों को प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में शामिल किया था। 2 6 तक।

18. मामले के महत्व और गंभीरता की सराहना करते हुए, इस न्यायालय ने 18 नवंबर को याचिका में कारण बताए जाने का नोटिस जारी किया। 2016. नोटिस की सेवा के बाद जब मामला 24 मार्च, 2017 को सुनवाई के लिए आया, तो इस अदालत ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करके याचिकाकर्ताओं को पूर्ण और उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

19. जब मामला 28 अगस्त, 2017 को फिर से सूचीबद्ध किया गया, तो श्री के. के. वेणुगोपाल, विद्वान अटॉर्नी जनरल की ओर से पेश हुए।

सुश्री पिंकी आनंद, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के साथ भारत संघ। यह बताया गया कि चूंकि यह न्यायालय मुख्य रूप से गवाह संरक्षण कार्यक्रम से संबंधित मुद्दे पर विचार कर रहा था, इसलिए यह उचित होगा कि अन्य राज्यों को भी शामिल किया जाए क्योंकि इस मुद्दे का अखिल भारतीय स्तर पर महत्व है और गवाह संरक्षण कार्यक्रम होना चाहिए।

सभी राज्यों में उपलब्ध है। तदनुसार, याचिकाकर्ताओं को अन्य राज्यों को भी शामिल करने का निर्देश दिया गया और उन्हें इस याचिका का नोटिस दिया गया। इस तरह याचिका का दायरा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए पूरे देश में बढ़ाया गया है।

20. याचिका में संशोधन किया गया और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सेवा प्रदान की गई है और उनका प्रतिनिधित्व उनके संबंधित वकील के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद जब मामले को सुनवाई के लिए लिया गया 17 नवंबर, 2017 को सभी उत्तरदाताओं से कहा गया कि वे अपना जवाब दाखिल करें कि गवाह रखने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।

जगह पर सुरक्षा कार्यक्रम। 21. भारत के विद्वान महान्यायवादी श्री वेणुगोपाल से भी एक मसौदा योजना के रूप में सुझाव देने का अनुरोध किया गया था।

यह

[2018] 14 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह जानकर खुशी होती है कि भारत संघ ने इस याचिका को प्रतिकूल के रूप में नहीं लिया और व्यापक सार्वजनिक हित में ऐसी योजना की आवश्यकता को समझा। इस संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, गृह मंत्रालय ने गवाह संरक्षण योजना, 2018 का एक मसौदा तैयार किया है और इसे इस मामले के रिकॉर्ड में रखा है। 13 अप्रैल, 2018 के आदेशों में यह उल्लेख किया गया था और राज्य सरकारों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों, जिन्हें पहले ही मंत्रालय द्वारा मसौदा योजना की प्रति प्रदान की जा चुकी थी, को 31 मई, 2018 तक गृह मंत्रालय को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। केंद्र सरकार विभिन्न सरकारों से टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त करने के बाद योजना को अंतिम रूप देने के लिए प्रभावित हुई। 13 अप्रैल, 2018 का आदेश, जिसमें शामिल हैं उपरोक्त पहलुओं को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" हमें सूचित किया जाता है कि गृह मंत्रालय ने

तैयार

साक्षी सुरक्षा योजना 2018 का मसौदा। उक्त मसौदे की एक प्रति आज अदालत में हमें योजना सौंपी गई है। दिनांकित पत्र का वीडियो

22 मार्च, 2018 में उक्त योजना की एक प्रति भी प्रदान की गई है। सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन

उनसे 9 अप्रैल, 2018 तक अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी जानकारी देने के लिए कहा गया था 31 मई, 2018 तक की टिप्पणियाँ।

हम सभी राज्य सरकारों के साथ-साथ संघ से भी उम्मीद करते हैं

उपरोक्त निर्धारित द्वारा अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए क्षेत्र गृह मंत्रालय को 31 मई, 2018 की तिथि। इसके बाद

गवाह संरक्षण के मसौदे पर टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त करना

योजना 2018 को सरकार, मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

अगली तारीख से पहले गृह मामले।

अगस्त, 2018 के दूसरे सप्ताह में मामले को सूचीबद्ध करें।

विद्वान न्यायमित्र भी अपने सुझाव देने के लिए स्वतंत्र हैं।

22. जब यह मामला 19 नवंबर, 2018 को उठाया गया था,

इसका शपथ पत्र। उन्होंने अपनी दलील में यह भी स्पष्ट किया कि यह न्यायालय सभी राज्यों को उस योजना को अपनाने का निर्देश देते हुए उचित आदेश पारित कर सकता है और जब तक इस संबंध में उचित विधान पारित नहीं हो जाता, तब तक साक्षी को उसके अनुसार सुरक्षा प्रदान करें।

महेंद्र चावला और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ए. के. सिकरी, जे.]

23. हम रिकॉर्ड पर रख सकते हैं कि केंद्र सरकार के हलफनामे के अनुसार, गवाह संरक्षण योजना, 2018 इन सूचनाओं पर आधारित है

18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, 5 राज्यों के कानूनी सेवा प्राधिकरणों और नागरिक समाज, तीन उच्च न्यायालयों के साथ-साथ पुलिस कर्मियों सहित खुले स्रोतों से प्राप्त। यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के परामर्श से योजना को अंतिम रूप दिया गया है। यह उल्लेख किया गया है कि इस योजना का उद्देश्य और उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपराधिक अपराधों की जांच, अभियोजन और मुकदमा

पूर्वाग्रह नहीं है क्योंकि गवाह हिंसक या अन्य आपराधिक पुनरावृत्ति से सुरक्षा के बिना सबूत देने के लिए भयभीत या भयभीत हैं। इसका उद्देश्य उन व्यक्तियों की सुरक्षा को सुविधाजनक बनाकर कानून प्रवर्तन को बढ़ावा देना है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करने में शामिल हैं।

आपराधिक कानून प्रवर्तन एजेंसियां और न्याय का समग्र प्रशासन।

24. हलफनामे में आगे इस बात पर जोर दिया गया है कि गवाहों को सुरक्षा के पूर्ण आश्वासन के साथ कानून प्रवर्तन और न्यायिक अधिकारियों की सहायता के लिए आगे आने का विश्वास देने की आवश्यकता है और वर्तमान योजना का उद्देश्य उन उपायों की श्रृंखला की पहचान करना है जिन्हें अपनाया जा सकता है।

गवाहों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके जीवन, प्रतिष्ठा और संपत्ति के खिलाफ डराने और धमकाने से बचाएं।

25. इस स्तर पर, हम गवाह संरक्षण योजना, 2018 को पूरी तरह से प्रस्तुत करते हैं:

" गवाह सुरक्षा योजना, 2018

वरीयता

लक्षय और उद्देश्य:

कानून के शासन को बनाए रखने के लिए न्यायिक व्यवस्था में गवाही देने या धमकी या प्रतिशोध के डर के बिना कानून प्रवर्तन और जांच में सहयोग करने की गवाह की क्षमता आवश्यक है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपराधिक अपराधों की जांच, अभियोजन और मुकदमा पूर्वाग्रह से ग्रस्त न हो क्योंकि गवाह हिंसक या अन्य आपराधिक पुनरावृत्ति से सुरक्षा के बिना सबूत देने के लिए भयभीत या भयभीत न हों। इसका उद्देश्य आपराधिक कानून प्रवर्तन एजेंसियों और न्याय के समग्र प्रशासन को सहायता प्रदान करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल व्यक्तियों की सुरक्षा को सुविधाजनक बनाकर कानून प्रवर्तन को बढ़ावा देना है। गवाहों को पूर्ण [2018] 14 एस. सी. आर. के साथ कानून प्रवर्तन और न्यायिक अधिकारियों की सहायता के लिए आगे आने का विश्वास देने की आवश्यकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सुरक्षा का आश्वासन। इसका उद्देश्य उन उपायों की श्रृंखला की पहचान करना है जिन्हें गवाहों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके जीवन, प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा के खिलाफ धमकी और खतरों से बचाने के लिए अपनाया जा सकता है।

जेरेमी बेंथम ने कहा है कि "गवाह न्याय की आँख और कान हैं।" प्रभावशाली लोगों से जुड़े मामलों में, गवाह जीवन और संपत्ति के लिए खतरे के कारण शत्रुतापूर्ण हो जाते हैं। गवाहों ने पाया कि किसी भी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए राज्य द्वारा कोई कानूनी दायित्व नहीं है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात राज्य बनाम में भी निर्णय दिया। अनिरुद्ध सिंह (1997) 6 एससीसी 514 कि: यह प्रत्येक गवाह का हितकारी कर्तव्य है जिसे अपराध करने की जानकारी है, कि वह साक्षय देने में राज्य की सहायता करे। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार पर मलिमथ समिति, 2003 ने अपनी रिपोर्ट में कहा

कि "अपराध करने से संबंधित साक्षय देकर, वह सच्चाई का पता लगाने में अदालत की सहायता करने का एक पवित्र कर्तव्य निभाता है"। ज़हिरा हबीबुल्ला एच. शेख और एक अन्य बनाम। गुजरात राज्य 2004 (4) एस. सी. सी. 158 एस. सी. ने निष्पक्ष सुनवाई को परिभाषित करते हुए कहा, "यदि गवाहों को धमकी दी जाती है या उन्हें गलत सबूत देने के लिए मजबूर किया जाता है तो इसका परिणाम भी निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगा।"

भारत में गवाह संरक्षण का पहला संदर्भ 1958 में भारत के विधि आयोग की 14 वीं रिपोर्ट में आया था। इस विषय पर आगे का संदर्भ भारत में विधि आयोग की 154 वीं और 178 वीं रिपोर्ट में पाया जाता है। 198"गवाह पहचान संरक्षण और गवाह संरक्षण कार्यक्रम, 2006" शीर्षक से भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट इस विषय को समर्पित है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने ज़हिरा मामले में कहा, "देश अपने नैतिक रूप से सही नागरिकों को बलात्कारियों और हत्यारों जैसे असामाजिक तत्वों द्वारा परेशान किए जाने के खतरे से अवगत करा सकता है।" चौथे राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट, 1980 में उल्लेख किया गया है

' अभियोजन पक्ष के गवाह अभियुक्त के दबाव के कारण मुकर रहे हैं और हेरफेर की जांच के लिए विनियमन की आवश्यकता है

विधानमंडल ने 2006 में आई. पी. सी. की धारा 195 ए को पेश किया है जिससे गवाहों को आपराधिक धमकी देना दंडनीय अपराध बन गया है। सात साल की कैद के साथ। इसी तरह, हेंडर चावला और ओआरएस नाम की मूर्तियों में।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ए. के. सिकरी, जे.]

किशोर न्याय (एकड़ और बच्चों का संरक्षण) अधिनियम, 2015, व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2011, यौन जातियों और जनजातियों से बच्चों का संरक्षण (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 भी गवाहों को फिर से धमकियों से बचाने का प्रावधान करता है। हालाँकि, गवाह संरक्षण के मुद्दे को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए आज तक कोई औपचारिक संरचित कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है।

हाल के वर्षों में चरमपंथ, आतंकवाद और संगठित अपराध बढ़े हैं और मजबूत और अधिक विविध होते जा रहे हैं। में ऐसे अपराधों की जाँच और अभियोजन, यह आवश्यक है कि गवाहों को आपराधिक न्याय प्रणाली में विश्वास हो।

गवाहों को कानून प्रवर्तन और अभियोजन एजेंसियों की सहायता के लिए आगे आने का विश्वास होना चाहिए। उन्हें आश्वस्त करने की आवश्यकता है कि उन्हें समर्थन और सुरक्षा मिलेगी। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने और अदालत के समक्ष गवाही देने से हतोत्साहित करने के लिए आपराधिक समूह उन्हें डराने-धमकाने और नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए, यह सही समय है कि देश में गवाहों की सुरक्षा के मुद्दों को समान रूप से संबोधित करने के लिए एक योजना बनाई जाए।

योजना का क्षेत्र:

गवाह संरक्षण उतना ही सरल हो सकता है जितना कि गवाह को अदालत कक्ष तक पुलिस अनुरक्षण प्रदान करना या गवाही की रिकॉर्डिंग के लिए आधुनिक संचार तकनीक (जैसे ऑडियो वीडियो साधन) का उपयोग करना। संगठित आपराधिक समूह से जुड़े अन्य अधिक जटिल मामलों में, गवाह की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए असाधारण उपायों की आवश्यकता होती है जैसे कि गुमनामी, एक सुरक्षित घर में अस्थायी निवास की पेशकश, एक नई पहचान देना और गवाह को एक अज्ञात स्थान पर स्थानांतरित करना। जगह। हालाँकि, एक गवाह की सुरक्षा आवश्यकताओं को उनके आधार पर मामले के आधार पर देखा जा सकता है।

भेद्यता और खतरे की धारणा।

1. संक्षिप्त शीर्षक और टिप्पणी:

(क) इस योजना को "गवाह संरक्षण योजना, 2018" कहा जाएगा।

(ख) यह अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भाग I

2. परिभाषाएँ:

(क) "संहिता" से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) अभिप्रेत है;

(ख) "गवाह की पहचान छिपाना" का अर्थ है और इसमें कोई भी शर्त शामिल है जो किसी भी तरह से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, नाम, पता और अन्य विवरणों के प्रकाशन या खुलासा को प्रतिबंधित करती है, जिससे गवाह की पहचान हो सकती है।

जाँच, परीक्षण और परीक्षण के बाद का चरण;

प्रत्येक जिले की अध्यक्षता जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा की जाती है, जिसमें जिले में पुलिस प्रमुख सदस्य के रूप में और जिले में अभियोजन प्रमुख इसके सदस्य सचिव के रूप में होते हैं। (घ) "परिवार के सदस्य" में माता-पिता/अभिभावक, पति/पत्नी, जीवित साथी, भाई-बहन, बच्चे, गवाह के पोते-पोतियां शामिल हैं।

(ई) "प्रपत्र" का अर्थ है इस योजना में संलग्न "गवाह संरक्षण आवेदन प्रपत्र";

(च) "इन कैमरा प्रोसीडिंग्स" से ऐसी कार्यवाही अभिप्रेत है जिसमें सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय केवल उन व्यक्तियों को अनुमति देता है जो गवाह संरक्षण आवेदन की सुनवाई और निर्णय लेते समय या अदालत में गवाही देते समय उपस्थित होने के लिए आवश्यक हैं;

मामले में गवाही देने या सक्षम प्राधिकारी के साथ बातचीत करने के लिए अदालत कक्ष में उपस्थित होना; (ज) "गवाह सुरक्षा उपाय" का अर्थ है वर्णित उपाय।

((i) "अपराध" से वे अपराध अभिप्रेत हैं जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास या सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हैं। आई. पी. सी. की धारा 354,354 ए, 354 बी, 354 सी, 354 डी और 509 के तहत दंडनीय अपराध।

(जे) "धमकी विश्लेषण रिपोर्ट" का अर्थ है खतरे की गंभीरता और विश्वसनीयता के संबंध में मामले की जांच करने वाले जिले के पुलिस प्रमुख द्वारा तैयार और प्रस्तुत एक विस्तृत रिपोर्ट।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ए. के. सिकरी, जे.]

गवाह या उसके परिवार के सदस्यों के लिए धारणा। इसमें शामिल होंगे

गवाह या उसके परिवार द्वारा उनके जीवन, प्रतिष्ठा या संपत्ति के लिए खतरों की प्रकृति के बारे में विशिष्ट विवरण, या धमकी देने वाले व्यक्तियों की सीमा का विश्लेषण करने के अलावा, अदालतों को लागू करने का इरादा, उद्देश्य और संसाधन हैं।

यह विशिष्ट गवाह सुरक्षा उपायों का सुझाव देने के अलावा खतरे की धारणा को भी वर्गीकृत करेगा जो इस मामले में किए जाने योग्य हैं।

(के) "गवाह" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति, जिसके पास किसी अपराध के बारे में जानकारी या दस्तावेज है;

(1) " गवाह संरक्षण आवेदन "का अर्थ है गवाह द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत किया गया आवेदन। गवाह संरक्षण आदेश की मांग के लिए प्राधिकरण। इसे स्थानांतरित किया जा सकता है।

गवाह, उसके परिवार के सदस्य, उसके विधिवत नियुक्त वकील या संबंधित आई. ओ./एस. एच. ओ./एस. डी. पी. ओ./जेल एस. पी. और वही

अधिमानतः संबंधित अभियोजक के माध्यम से अग्रेषित किया जाए;

(एम) "गवाह संरक्षण कोष" का अर्थ है गवाह के कार्यान्वयन के दौरान किए गए खर्चों को वहन करने के लिए बनाया गया कोष।

इस योजना के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित संरक्षण आदेश;

(एन) "गवाह संरक्षण आदेश" का अर्थ है द्वारा पारित आदेश

गवाह सुरक्षा उपायों का विवरण देने वाला सक्षम प्राधिकारी

(0) " साक्षी सुरक्षा प्रकोष्ठ "का अर्थ है राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुलिस या केंद्रीय पुलिस एजेंसियों का एक समर्पित प्रकोष्ठ जिसे यह कार्य सौंपा गया है - गवाह संरक्षण आदेश को लागू करें।

भाग-II

3. खतरे के अनुसार गवाहों की श्रेणियां: श्रेणी 'ए': जहाँ खतरा गवाह या उसके जीवन तक फैल जाता है

परिवार के सदस्य, जांच/मुकदमे के दौरान या उसके बाद।

श्रेणी 'बी': जहां गवाह या उसके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा, प्रतिष्ठा या संपत्ति को खतरा है,

जाँच/मुकदमा या उसके बाद।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

श्रेणी 'सी': जहां धमकी मध्यम है और जांच/मुकदमे के दौरान या उसके बाद गवाह या उसके परिवार के सदस्य, प्रतिष्ठा या संपत्ति का उत्पीड़न या धमकी तक फैली हुई है।

4. राज्य साक्षी सुरक्षा निधि: (क) एक कोष होगा, अर्थात्, साक्षी संरक्षण कोष जिसमें से सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित साक्षी संरक्षण आदेश के कार्यान्वयन के दौरान किए गए खर्च और

अन्य संबंधित खर्चों को पूरा किया जाएगा। (ख) साक्षी सुरक्षा कोष में निम्नलिखित शामिल होंगे:

आई. राज्य द्वारा वार्षिक बजट में किया गया बजटीय आवंटन

सरकार;

ii. अदालतों/न्यायाधिकरणों द्वारा गवाह संरक्षण कोष में जमा किए जाने के लिए लगाए गए/आदेशित खर्च की राशि की प्राप्ति; iii. धर्मार्थ संस्थानों/संगठनों और केंद्र/राज्य द्वारा अनुमत व्यक्तियों से दान/योगदान

सरकारें। iv. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत निधियों का योगदान किया गया।

(ग) उक्त निधि का संचालन विभाग/मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के अधीन गृह विभाग।

5. प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण से पहले आवेदन का निष्पादन:

इस योजना के तहत सुरक्षा आदेश की मांग के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में संबंधित जिले के सक्षम प्राधिकरण के समक्ष दायर किया जा सकता है, जहां अपराध किया गया है, इसके सदस्य सचिव के माध्यम से सहायक दस्तावेजों के साथ, यदि कोई हो। 6 .

प्रक्रिया के लिए प्रक्रिया

आवेदन:

(क) सदस्य द्वारा आवेदन प्राप्त होते ही

सक्षम प्राधिकारी का सचिव, निर्धारित प्रपत्र में, संबंधित पुलिस उप-मंडल के प्रभारी ए. सी. पी./डी. एस. पी. से खतरे के विश्लेषण की रिपोर्ट मंगाने के लिए तुरंत आदेश पारित करेगा।

(ख) आसन्न खतरे के कारण मामले में तात्कालिकता के आधार पर, सक्षम प्राधिकरण अंतरिम हेन्डर चावला और ओआरएस के लिए आदेश पारित कर सकता है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ए. के. सिकरी, जे.]

आवेदन के लंबित रहने के दौरान गवाह या उसके परिवार के सदस्यों का संरक्षण।

(ग) खतरा विश्लेषण रिपोर्ट पूरी गोपनीयता बनाए रखते हुए तेजी से तैयार की जाएगी और यह आदेश प्राप्त होने के पांच कार्य दिवसों के भीतर सक्षम प्राधिकारी तक पहुंच जाएगी।

(घ) खतरा विश्लेषण रिपोर्ट खतरे की धारणा को वर्गीकृत करेगी और इसमें गवाह या उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए सूचक सुरक्षा उपाय भी शामिल होंगे।

(ई) गवाह सुरक्षा के लिए आवेदन को संसाधित करते समय, सक्षम प्राधिकारी व्यक्तिगत रूप से भी बातचीत करेगा और यदि संभव नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से गवाह और/या उसके परिवार के सदस्य/नियोक्ता या कोई अन्य व्यक्ति जो उपयुक्त समझा जाता है ताकि गवाह की सुरक्षा आवश्यकताओं का पता लगाया जा सके।

(च) गवाह संरक्षण आवेदन पर सभी सुनवाई पूरी गोपनीयता बनाए रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कैमरे में आयोजित की जाएगी। (छ) पुलिस अधिकारियों से खतरे के विश्लेषण की रिपोर्ट प्राप्त होने के पांच कार्य दिवसों के भीतर एक आवेदन का निपटारा किया जाएगा।

(ज) सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित गवाह संरक्षण आदेश को साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ द्वारा लागू किया जाएगा।

यथास्थिति, राज्य/कंद्र शासित प्रदेश या विचारण न्यायालय। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित सभी गवाह सुरक्षा आदेशों के कार्यान्वयन की समग्र जिम्मेदारी राज्य/कंद्र शासित प्रदेश में पुलिस प्रमुख की होगी। तथापि, पहचान परिवर्तन और/या स्थानांतरण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित साक्षी संरक्षण आदेश संबंधित राज्य के गृह विभाग द्वारा लागू किया जाएगा।

यूटी। (i) गवाह संरक्षण आदेश पारित होने पर, गवाह संरक्षण प्रकोष्ठ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक मासिक अनुवर्ती रिपोर्ट दाखिल करेगा।

(जे) यदि सक्षम प्राधिकारी को लगता है कि इसकी आवश्यकता है

गवाह संरक्षण आदेश को संशोधित करें या इस संबंध में एक आवेदन भेजा जाता है, और परीक्षण के पूरा होने पर, एक नया खतरा विश्लेषण [2018] 14 एस. सी. आर.

रिपोर्ट संबंधित पुलिस उप-मंडल के प्रभारी एसीपी/डीएसपी से बुलाई जाएगी।

7. सुरक्षा उपायों के प्रकार:

आदेशित गवाह सुरक्षा उपाय खतरे के अनुपात में होंगे और एक विशिष्ट अवधि के लिए होंगे जो एक बार में तीन महीने से अधिक नहीं होगी। इनमें शामिल हो सकते हैं:

(क) यह सुनिश्चित करना कि जांच या मुकदमे के दौरान गवाह और आरोपी आमने-सामने न आएं;

(ख) मेल और टेलीफोन कॉल की निगरानी;

(ग) टेलीफोन कंपनी के साथ गवाह का टेलीफोन नंबर बदलने या उसे एक गैर-सूचीबद्ध टेलीफोन नंबर देने की व्यवस्था;

(घ) गवाह के घर में सुरक्षा उपकरणों जैसे सुरक्षा दरवाजे, सीसीटीवी, अलार्म, बाड़ आदि की स्थापना; (ई) बदले हुए नाम या वर्णमाला के साथ गवाह का उल्लेख करके उसकी पहचान छिपाना;

(च) गवाह के लिए आपातकालीन संपर्क व्यक्ति;

पास का शहर; (i) अदालत में आने-जाने के लिए और सुनवाई की तारीख के लिए सरकारी वाहन या राज्य वित्त पोषित वाहन का प्रावधान;

(जे) कैमरा परीक्षणों का आयोजन;

(1) विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए संवेदनशील गवाह अदालत कक्षों का उपयोग जिसमें गवाहों के लिए अलग-अलग मार्गों के अलावा लाइव वीडियो लिंक, एक तरफा दर्पण और स्क्रीन जैसी विशेष व्यवस्थाएं हैं और अभियुक्त, गवाह के चेहरे की छवि को संशोधित करने और गवाह की आवाज़ के ऑडियो फ़ीड को संशोधित करने के विकल्प के साथ, ताकि वह पहचान योग्य न हो;

(एम) स्थगन के बिना दिन-प्रतिदिन के आधार पर मुकदमे के दौरान बयान की त्वरित रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करना; हेन्डर चावला और ओआरएस।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ए. के. सिकरी, जे.]

(एन) गवाह संरक्षण कोष से गवाह को समय-समय पर वित्तीय सहायता/अनुदान प्रदान करना।

यदि वांछित हो तो स्थान, निर्वाह या एक नया व्यवसाय/पेशा शुरू करना।

(0) आवश्यक माने जाने वाले सुरक्षा उपायों का कोई अन्य रूप।

8. निगरानी और समीक्षा:

मामले में प्राप्त अनुवर्ती रिपोर्ट की शर्तें। तथापि, सक्षम प्राधिकारी समीक्षा करेगा साक्षी सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तुत मासिक अनुवर्ती रिपोर्ट के आधार पर त्रैमासिक आधार पर साक्षी सुरक्षा आदेश।

भाग III

9. पहचान की सुरक्षा:

किसी भी अपराध की जांच या मुकदमे के दौरान, पहचान सुरक्षा की मांग के लिए एक आवेदन अपने सदस्य सचिव के माध्यम से सक्षम प्राधिकरण के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में दायर किया जा सकता है।

आवेदन प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकरण का सदस्य सचिव खतरे के विश्लेषण की रिपोर्ट मांगेगा। सक्षम प्राधिकारी गवाह या उसके परिवार के सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति से यह पता लगाने के लिए पूछताछ करेगा कि क्या पहचान संरक्षण आदेश पारित करने की आवश्यकता है।

आवेदन की सुनवाई के दौरान, गवाह की पहचान किसी अन्य व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं की जाएगी, जिससे गवाह की पहचान होने की संभावना है। सक्षम प्राधिकारी

इसके बाद, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अनुसार आवेदन का निपटान कर सकते हैं।

एक बार सक्षम प्राधिकारी द्वारा गवाह की पहचान की सुरक्षा के लिए आदेश पारित होने के बाद, यह सुनिश्चित करना गवाह सुरक्षा प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी होगी कि नाम/माता-पिता/व्यवसाय/पता/डिजिटल पदचिह्न सहित ऐसे गवाह/उसके परिवार के सदस्यों की पहचान पूरी तरह से सुरक्षित है।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जब तक सक्षम प्राधिकारी के आदेश के तहत किसी भी गवाह की पहचान सुरक्षित है, तब तक गवाह सुरक्षा प्रकोष्ठ उन व्यक्तियों का विवरण प्रदान करेगा जिनसे गवाह द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

आपात स्थिति।

भाग IV

10. पहचान में बदलाव:

पहचान में परिवर्तन के लिए और खतरे के विश्लेषण की रिपोर्ट के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा गवाह को एक नई पहचान प्रदान करने के लिए निर्णय लिया जा सकता है। नई पहचान प्रदान करने में नया नाम/पेशा/माता-पिता और सरकारी एजेंसियों द्वारा स्वीकार्य सहायक दस्तावेज प्रदान करना शामिल है। नई पहचान गवाह को मौजूदा शैक्षिक/पेशेवर/संपत्ति के अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहिए।

भाग V

11. गवाह की नियुक्ति:

उपयुक्त मामलों में, जहां गवाह से स्थानांतरण के लिए अनुरोध किया जाता है और खतरा विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर, सक्षम द्वारा गवाह के स्थानांतरण के लिए निर्णय लिया जा सकता है।

प्राधिकरण।

सक्षम प्राधिकारी गवाहों के स्थानांतरण के लिए आदेश पारित कर सकता है।

गवाह की सुरक्षा, कल्याण और कल्याण को ध्यान में रखते हुए भारतीय संघ के राज्य/केंद्र शासित प्रदेश या क्षेत्र के भीतर एक सुरक्षित स्थान पर। खर्च साक्षी सुरक्षा कोष द्वारा वहन किया जाएगा।

भाग VI

12. योजना से सम्मानित होने वाले गवाह:

प्रत्येक राज्य इस योजना का व्यापक प्रचार करेगा। आई. ओ. और न्यायालय गवाहों को "गवाह संरक्षण योजना" के अस्तित्व और इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में सूचित करेंगे।

13. अभिलेखों की गोपनीयता और संरक्षण:

पुलिस, अभियोजन विभाग, अदालत के कर्मचारी, दोनों पक्षों के वकीलों सहित सभी हितधारकों को पूरा नियंत्रण रखना होगा।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ए. के. सिकरी, जे.]

गोपनीयता और यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी परिस्थिति में, इस योजना के तहत कार्यवाही के संबंध में कोई भी रिकॉर्ड, दस्तावेज या जानकारी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के साथ साझा नहीं की जाएगी।

विचारण न्यायालय/अपीलीय न्यायालय को छोड़कर और वह भी लिखित आदेश पर।

इस योजना के तहत कार्यवाही से संबंधित सभी अभिलेखों को तब तक संरक्षित किया जाएगा जब तक कि संबंधित मुकदमा या अपील किसी न्यायालय के समक्ष लंबित न हो। अंतिम न्यायालय की कार्यवाही के निपटारे के एक वर्ष के बाद, अभिलेखों की हार्ड कॉपी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी स्कैन की गई सॉफ्ट प्रतियों को संरक्षित करने के बाद समाप्त किया जा सकता है।

14. खर्चों की प्राप्ति:

संबंधित सरकार का विभाग गवाह से किए गए खर्च की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता है। संरक्षण कोष।

15. समीक्षा:

यदि गवाह या पुलिस अधिकारी सक्षम प्राधिकारी के निर्णयों से व्यथित हैं, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित होने के 15 दिनों के भीतर एक समीक्षा आवेदन दायर किया जा सकता है।

प्राधिकरण।

गवाह सुरक्षा योजना, 2018

गवाह सुरक्षा आवेदन

के तहत

गवाह सुरक्षा योजना, 2018

(डुप्लिकेट में दाखिल किया जाना है)

जिला. इसके लिए आवेदन:

1. गवाहों की सुरक्षा

2. गवाह पहचान संरक्षण

3. नई पहचान

4. गवाह स्थानांतरण [2018] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गवाह का विवरण (भरें)

1 .

पूँजी):

1) नाम

2) आयु.

3) लिंग (पुरुष/महिला/अन्य)

4) पिता/माता का नाम

5) आवासीय पता

6) गवाह के परिवार के सदस्यों का नाम और अन्य विवरण जो धमकी प्राप्त कर रहे हैं या महसूस कर रहे हैं

7) संपर्क विवरण (मोबाइल/ई-मेल)

आपराधिक मामलों का विवरण:

2 .

1) एफआइआर नं.

2) खंड के तहत

3) पुलिस स्टेशन

4) जिला

5) डी. डी. नं. (मामले में अभी तक एफ. आई. आर. नहीं हुई है।

पंजीकृत)

6) Cr.Case नहीं. (निजी मामलों में)

शिकायत)

अभियुक्त का विवरण (यदि

3 .

उपलब्ध/ज्ञात):

1) नाम

2) पता

3) फोन नं.

4) ईमेल आईडी

नाम और अन्य विवरण

4 .

देने वाला व्यक्ति/देने का संदेह

धमकियाँ

खतरे की धारणा की प्रकृति। कृपा करें।

5 .

विशिष्ट तिथि, स्थान, विधि और उपयोग किए गए शब्दों के साथ मामले में प्राप्त धमकी का संक्षिप्त विवरण दें।

गवाह सुरक्षा उपायों का प्रकार

6 .

गवाह द्वारा प्रार्थना की गई

अंतरिम/तत्काल गवाह का विवरण

7 .

यदि आवश्यक हो तो सुरक्षा की आवश्यकताएँ, महेंद्र चावला और ओआरएस।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ए. के. सिकरी, जे.]

आवेदक/गवाह अतिरिक्त देने के लिए अतिरिक्त पत्रक का उपयोग कर सकते हैं।

●

जानकारी दी।

(हस्ताक्षर के साथ पूरा नाम)

तारीखः स्थानः .....

समझ में आना

1. मैं वचन देता हूं कि मैं सक्षम प्राधिकारी और राज्य के गृह विभाग और गवाह संरक्षण प्रकोष्ठ के साथ पूरा सहयोग करूंगा।

2. मैं प्रमाणित करता हूं कि इस आवेदन में मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और सही है।

3. मैं समझता हूं कि यदि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई जानकारी झूठी पाई जाती है, तो योजना के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास गवाह संरक्षण कोष से मुझ पर किए गए खर्च की वसूली करने का अधिकार सुरक्षित है।

(हस्ताक्षर के साथ पूरा नाम)

तारीखः

स्थानः .....

26. जैसा कि इसके पढ़ने से स्पष्ट है, गवाह की आवश्यक विशेषताएँ

सुरक्षा योजना, 2018 में खतरे की श्रेणियों की पहचान करना शामिल है।

धारणाएँ, पुलिस प्रमुख द्वारा "धमकी विश्लेषण रिपोर्ट" तैयार करना, सुरक्षा उपायों के प्रकार जैसे कि यह सुनिश्चित करना कि गवाह और आरोपी जांच के दौरान आमने-सामने न आएं आदि. पहचान की सुरक्षा, पहचान में परिवर्तन, गवाह का स्थानांतरण, गवाहों को योजना से अवगत कराया जाना, गोपनीयता और अभिलेखों का संरक्षण, खर्चों की वसूली आदि।

27. चूँकि यह एक लाभकारी और हितकारी योजना है जिसका उद्देश्य है -

इस देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करना, जो बदले में न केवल न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करेगा, बल्कि न्याय के उद्देश्य को भी आगे बढ़ाएगा, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने यह भी स्वीकार किया कि [2018] 14 एस. सी. आर.

न्यायालय द्वारा उक्त योजना को न्यायालय के अधिदेश के रूप में लागू करने के लिए उपयुक्त निर्देश पारित किए जा सकते हैं जब तक कि

विधायिकाएँ।

28. उपरोक्त घटनाओं से यह स्पष्ट है कि यह योजना केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है।

न केवल राज्य सरकारों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों से बल्कि पुलिस कर्मियों, एनएएलएसए और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों, उच्च न्यायालयों और यहां तक कि नागरिक समाज सहित अन्य हितधारकों से भी सहायता। विद्वान महान्यायवादी और अन्य प्रत्यर्थियों के उपरोक्त निवेदन को स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं है।

29. जैसा कि ऊपर बताया गया है, साक्षी के मामले में, अदालत ने लोगों की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। गवाह। इसने विधि आयोग से कुछ पहलुओं की जांच करने का भी अनुरोध किया था, जिसके परिणामस्वरूप कानून द्वारा बलात्कार कानूनों की 172 वीं समीक्षा की गई।

आयोग। हालांकि, अदालत ने विशेष रूप से अभियुक्त की अनुपस्थिति में कमजोर गवाहों की जांच के संबंध में विधि आयोग के सुझाव को खारिज कर दिया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 273 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, कि गवाह से अभियुक्त की उपस्थिति में पूछताछ की जानी चाहिए, इस तरह के सिद्धांत का परीक्षणों और यौन अपराधों के संबंध में पूछताछ में त्याग नहीं किया जा सकता है। ऐसे परिदृश्य में परीक्षा

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन गवाहों की संख्या समाधान प्रदान करती है जो अभियुक्त के साथ-साथ कमजोर गवाहों के हितों को संतुलित करती है। 30. साक्षी सुरक्षा योजना, 2018 के भाग II (7) (L) में विशेष व्यवस्था वाले विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए न्यायालय कक्ष का उपयोग करने का प्रावधान है।

गवाहों और अभियुक्तों के लिए अलग-अलग मार्गों के अलावा लाइव लिंक, एक तरफा दर्पण और स्क्रीन जैसे गवाह के चेहरे की छवि को संशोधित करने और गवाह की आवाज के ऑडियो फीड को संशोधित करने के विकल्प के साथ, ताकि उसकी पहचान न हो।

31. इसी के अनुरूप, दिल्ली की न्यायपालिका ने पहले ही राष्ट्रीय न्यायालय में चार असुरक्षित गवाह जमा करने वाले परिसर स्थापित कर लिए हैं।

राजधानी क्षेत्र, नवीनतम द्वारका जिला न्यायालय में है, जो फरवरी, 2017 में स्थापित किया गया था। यह परिसर अलग-अलग गवाह कक्ष, अलग अभियुक्त कक्ष, बाल गवाहों के लिए खेल का

स्थान, पैंट्री, अलग शौचालय और एक विशेष और आरामदायक प्रतीक्षा क्षेत्र जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है और पीठासीन न्यायाधीश, गवाह और अभियुक्त के बीच एक स्वतंत्र इंटरफेस के लिए ऑडियो-विजुअल आदान-प्रदान की सभी सुविधाओं से सुसज्जित है। इस परिसर में एक अलग प्रवेश द्वार है- महेंद्र चावला और ओआरएस।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ए. के. सिकरी, जे.]

कमजोर गवाहों के लिए, ताकि वे किसी भी समय अभियुक्त के सीधे संपर्क में न आएं। सहायक व्यक्तियों के लिए, मुकदमे से पहले अदालत की यात्रा और गवाहों को उनके आवास से चुनने और छोड़ने की सुविधाओं के प्रावधान हैं। इस तरह, इस मामले में संवेदनशील गवाहों को आरामदायक वातावरण प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं जटिल ताकि वे आपराधिक कार्यवाही में अपना सर्वश्रेष्ठ साक्षय दे सकें।

32. इन असुरक्षित गवाह जमाव परिसरों की स्थापना के पीछे मुख्य कारणों में से एक यह था कि

आपराधिक मामलों में बरी होना गवाहों के शत्रुतापूर्ण होने और झूठी गवाही देने के कारण होता है, ज्यादातर उनके और उनके परिवारों के लिए सुरक्षा की कमी के कारण, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के मामले में। 33. वास्तव में, उच्चतम न्यायालय ने भी, महाराष्ट्र राज्य बनाम. बंदू @दौलत (आदेश डीटी। 24.20.2017 सीआरएल में। अपील सं. 1820 /

2017) उन्होंने निम्नानुसार निर्देश दिया है:

" 10. ..... न्यायालय में अनुकूल वातावरण के हित में आपराधिक मामलों में कमजोर गवाहों की जांच के लिए विशेष केंद्र होने चाहिए ताकि एक कमजोर पीड़ित को बयान देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ऐसे केंद्रों को सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ स्थापित किया जाना चाहिए। दिशा-निर्देशों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है

आपराधिक मामलों में कमजोर गवाहों के साक्षय दर्ज करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया और यह भी तथ्य कि चार विशेष

इसके लिए दिल्ली में केंद्र बनाए गए हैं।

*****

12. दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश और विशेष की स्थापना

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कमजोर गवाहों के लिए केंद्र इस न्यायालय के निर्णय के अनुरूप हैं और उसी के पूरक हैं। हमारा विचार है कि सभी उच्च न्यायालय ऐसे दिशानिर्देशों को अपना सकते हैं यदि उन्हें अभी तक ऐसे संशोधनों के साथ नहीं अपनाया गया है जिन्हें आवश्यक समझा जा सकता है। देश के लगभग हर जिले में संवेदनशील गवाहों के लिए एक केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता हो सकती है। सभी उच्च न्यायालय नियत समय में चरणों में इस दिशा में उचित कदम उठा सकते हैं। आज से तीन महीने के भीतर प्रत्येक उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कम से कम दो ऐसे केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। इसके बाद इस तरह के और केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं।

उच्च न्यायालयों का निर्णय। "[2018] 14 एस. सी. आर.

34. उपरोक्त चर्चा से जो एक बात सामने आती है, वह यह है कि कानूनी रूप में गवाह संरक्षण व्यवस्था की सर्वोपरि आवश्यकता है, जिसमें सभी हितधारक और आपराधिक मामले में सभी खिलाड़ी शामिल हों।

न्याय प्रणाली स्वीकार करती है। साथ ही इस तरह का कोई कानून नहीं बनाया गया है। ये वे विचार हैं जिन्होंने इसे प्रभावित किया था।

न्यायालय में गवाह संरक्षण का एक समग्र शासन होगा जिसे एक उपयुक्त कानून बनाए जाने तक संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत कानून माना जाना चाहिए।

35. तदनुसार, हम निर्देश देते हैं कि:

(i) इस न्यायालय ने द्वारा तैयार की गई योजना को अपनी प्रमुखता दी है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 जिसे एतद्द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह लागू होता है

तुरंत। ((ii) भारत संघ के साथ-साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश गवाह संरक्षण योजना, 2018 को अक्षरशः लागू करेंगे।

(iii) यह संविधान के अनुच्छेद 141/142 के तहत 'कानून' होगा,

उपयुक्त संसदीय और/या राज्य के अधिनियमन तक

इस विषय पर कानून।

(iv) योजना में निहित उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप, भारत के सभी जिला न्यायालयों में, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संवेदनशील गवाह बयान परिसरों की स्थापना की जाएगी। यह एक वर्ष की अवधि के भीतर, यानी वर्ष 2019 के अंत तक हासिल किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को भी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की मदद करके उनके इस प्रयास का समर्थन करना चाहिए

आर्थिक रूप से और अन्यथा।

36. रिट याचिका का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

याचिका का निपटारा किया गया।

कल्पना के. त्रिपाठी